समक्ष एम. एल. सिंघल ,जे.

आवास बोर्ड हरियाणा-अपीलार्थी

बनाम

राम नाथ एवम् अन्य-उत्तरदाता

आर. एस. ए. न. *1993* का *1169*

7 जुलाई, 2000

हरियाणा आवास बोर्ड अधिनियम, *1971*-धारा 67 और विनियमन। *7 (i)*-आवास बोर्ड हरियाणा *(*आवासों का आवंटन, प्रबंधन और बिक्री*)* विनियम, *1972*-आर. एल. *10.*—आवंटन के लिए आमंत्रित आवेदन-सामान्य श्रेणी के लिए अंतिम तिथि निर्धारित-आरक्षित श्रेणी के आवेदक आवंटन की तारीख से पहले आवेदन जमा कर सकते हैं-लॉट का ड्रॉ आयोजित-आरक्षित श्रेणी से संबंधित केवल *3* आवेदक आवेदन कर सकते हैं-क्या आरक्षित श्रेणी के आवेदक ड्रॉ की तारीख के बाद आवेदन कर सकते हैं-'ड्रॉ की तारीख' और 'आवंटन की तारीख'-के बीच अंतर-सामान्य श्रेणी के आवेदकों को आरक्षित श्रेणी के लिए मकानों के आवंटन का कोई अधिकार नहीं है।

यह निर्धारित किया गया कि विज्ञापन के खंड 6 से यह स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के सदस्यों को सेवारत सैन्य कर्मियों और उनकी पत्नियों/पूर्व सैनिकों/युद्ध विधवाओं/स्वतंत्रता सेनानियों की तुलना में एक विशेष श्रेणी के रूप में माना जाता था, जबकि सेवारत सैन्य कर्मियों और उनकी पत्नियों/पूर्व सैनिकों/स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, घरों के आवंटन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 1987 थी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आवंटन की अंतिम तिथि या वह तिथि थी जब तक उनका कोटा पूरी तरह से अभिदान किया गया था, जो भी पहले हो और अन्य सभी आवेदकों के लिए अंतिम तिथि 1 जून, 1987 थी।यदि अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के सदस्यों को इस बात को ध्यान में रखते हुए विशेष श्रेणी के रूप में माना जाता है कि वे अन्य श्रेणियों की तुलना में पिछड़े और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उनके मामले में आवेदन करने की तारीख 29 जनवरी, 1988 या उस तारीख को ली जानी चाहिए जब तक आरक्षण दिया गया था।

31 सेंट अगस्त, 1987

जो भी पहले हो, पूरी तरह से सदस्यता ली।आवास बोर्ड हरियाणा ने उनके साथ इस बात को ध्यान में रखते हुए उदारता से व्यवहार किया कि वे दलित और आर्थिक रूप से अत्यधिक पिछड़े हैं और इसलिए, यह प्रावधान किया गया था कि वे आवंटन की तारीख तक या उस तारीख तक आवेदन कर सकते हैं जब तक कि उनका कोटा पूरी तरह से अभिदान नहीं किया गया था, जो भी पहले हो।खंड 6-बी का उद्देश्य यह था कि हरियाणा आवास बोर्ड द्वारा अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के लिए बनाए गए एच. आई. जी. घरों का उपयोग उनके द्वारा किया जाना चाहिए और अन्य श्रेणियों द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

(पैरा 11)

वी. के. वशिष्ठ, अपीलार्थी राम नाथ के अधिवक्ता-प्रतिवादी संख्या *1* व्यक्तिगत रूप से।

न्याय

एम. एल. सिंघल जे.

(1)हरियाणा हाउसिंग बोर्ड, चण्डीगढ़ ने 28 अप्रैल, 1987 को द ट्रिब्यून में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से घरों की विभिन्न श्रेणियों के आवंटन के लिए आवेदन मांगे।उक़्त विज्ञापन के जवाब में, रामनाथ ने 19 मई, 1987 को निर्धारित प्रपत्र संख्या 041821 पर आवेदन किया। 7500,-मसौदा सं। टी. टी. ए./*11/561793* दिनांक 19 मई, 1987 को नियत तिथि के भीतर सभी मामलों में पूरा किया गया।विज्ञापन का खंड 4 (i) और 6, अनुलग्नक पी.1 निम्नानुसार हैः—

"4. सामान्य जानकारीः

(1) घरों का आवंटन ड्रॉ ऑफ लॉट के माध्यम से किया जाएगा।

6. पंजीकरण का विवरणः

पंजीकरण 1 मई, 1987 से शुरू होगा।

और विभिन्न श्रेणियों के आवेदकों के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि निम्नानुसार हैः—

आवेदकों की श्रेणी	अंतिम तिथि
*(क) सेवारत सैन्य कर्मी और उनके योद्धा/पूर्व सैनिक/युद्ध विधवा/स्वतंत्रता सेनान	
(ख) अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के सदसय	

आवंटन की तारीख तक

या वह तिथि जिस तक कोटा पूरी तरह से अभिदान किया गया है, जो भी पहले हो।

(b) अन्य सभी आवेदक 1 जून, 1987।

(2) विज्ञापन के उपरोक्त प्रावधान से यह पता चलता है कि (क) आवंटन का केवल एक ही तरीका होना था अर्थात लॉट निकालना, (ख) दूसरा, अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए भी अंतिम तिथि आवंटन की तारीख थी अर्थात जिस तारीख को लॉट निकालना था।"ड्रॉ ऑफ लॉट" या आवंटन के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता था।राम नाथ वादी का आवेदन क्रम में पाया गया और उनका नाम लॉट निकालने के लिए लॉट में शामिल किया गया जो 29 जनवरी, 1988 को तय किया गया था।लॉट का ड्रॉ 29 जनवरी, 1988 को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर 1, रोहतक के परिसर में आयोजित किया गया था।ड्रॉ के समय अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के सदस्यों की आरक्षित श्रेणियों से केवल तीन आवेदन प्राप्त हुए थे।शेष सात सीटों को उस दिन सामान्य श्रेणियों में स्थानांतरित कर दिया गया था और तदनुसार 29 जनवरी, 1988 को ड्रॉ का आयोजन किया गया था।चूंकि तीन आवेदकों को छोड़कर किसी अन्य उम्मीदवार ने अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्गों की आरक्षित श्रेणियों से ड्रॉ से पहले या उसके समय आवेदन नहीं किया था, इसलिए बाकी अप्रयुक्त कोटे को सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया था।वादी लॉट के ड्रॉ में सफल आवेदकों में से एक था और सफल आवंटनकर्ताओं को आवास बोर्ड, हरियाणा-प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा नियुक्ति का एक औपचारिक पत्र जारी किया जाना था।उन्हें पता चला कि आवास बोर्ड हरियाणा ने 3 मार्च, 1988 को लॉट के ड्रॉ के अनुसार अन्य लोगों को औपचारिक आवंटन पत्र जारी किए थे, जिसमें उनसे15000 रुपये की पहली किस्त आवंटन की शर्तों के अनुसार जमा करने को कहाअनुसार। हालाँकि, वादी को ऐसा कोई आवंटन पत्र जारी नहीं किया गया था।आवास बोर्ड, हरियाणा के कार्यालय से उनके (राम नाथ) द्वारा पूछताछ करने पर, उन्हें पता चला कि उन्हें औपचारिक आवंटन पत्र इस याचिका पर रोक दिया जा रहा है कि अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के सदस्य ड्रॉ के बाद भी अपने आवेदन जमा कर सकते हैं और यदि कोई निकाय सफल आवंटनकर्ताओं को इन घरों का वास्तविक कब्जा देने की तारीख तक आगे आता है तो उन्हें घर आवंटित किए जाएंगे।प्रतिवादी-आवास बोर्ड, हरियाणा की कार्रवाई मनमाना और शर्तों के विपरीत थी जैसे कि आरक्षित श्रेणियों को लॉट के ड्रॉ के बाद अपने आवेदन जमा करने की अनुमति देना।की कार्रवाई

प्रतिवादी आवास बोर्ड, हरियाणा, जो वादी के निहित कानूनी अधिकार की अनदेखी करके अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्गों की आरक्षित श्रेणियों के लोगों को पत्र जारी करने पर विचार कर रहा है, जिससे वादी के अधिकार को कानूनी नुकसान पहुंचता है, मनमाना और अवैध है।यदि आवास बोर्ड अपनी योजना में सफल हो जाता है, तो वादी को नुकसान और क्षति होगी, जिसकी भरपाई धन के रूप में नहीं की जा सकती है।इन आरोपों पर, राम नाथ ने आवास बोर्ड हरियाणा के खिलाफ उसके मुख्य प्रशासक और प्रभारी अधिकारी, आवास बोर्ड, हरियाणा, सेक्टर 1 रोहतक के माध्यम से स्थायी निषेधाज्ञा की परिणामी राहत के साथ अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया, जिसमें बाद वाले को ड्रॉ के माध्यम से तैयार की गई सूची का सम्मान करने और एक एच. आई. जी. घर के लिए वादी को आवंटन का औपचारिक पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया ताकि वह पहली किस्त जमा कर सके और उसी के अनुसार उसे एच. आई. जी. घर का कब्जा दे सके और यदि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, यह पाया गया कि घर आरक्षित श्रेणी को वितरित/आवंटित किया गया था, तो उक्त कार्रवाई को रद्द कर दिया जाए और प्रतिवादियों को आरक्षित श्रेणियों को एच. आई. जी. घर आवंटित करने से स्थायी रूप से रोक दिया जाए, जिनके आवेदन ड्रॉ के समय तक प्राप्त नहीं हुए थे, यानी 29 जनवरी तक।शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि उन्हें औपचारिक पत्र प्राप्त करने का पूरा कानूनी और निहित अधिकार है क्योंकि वह लॉट के ड्रॉ में सफल रहे थे।सामान्य श्रेणी को आवंटन के लिए 28 एच. आई. जी. सदन थे।आरक्षित श्रेणियों को आवंटन के लिए 10 एच. आई. जी. घर थे।प्रतिवादियों को उक्त सात सदनों के खिलाफ अपना आवेदन जमा करने के लिए आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को अनुमति देने से रोक दिया गया था।प्रतिवादियों के पास नियमों के तहत कोई शक्ति या अधिकार नहीं था कि वे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को लॉट के ड्रॉ के बाद अपना आवेदन जमा करने की अनुमति दें।वादी को अपने पक्ष में आवंटन का औपचारिक पत्र जारी करने का हर कानूनी और निहित अधिकार था क्योंकि उसका नाम विधिवत शामिल किया गया था और यह ड्रॉ कराने के बाद तैयार की गई सफल उम्मीदवारों की सूची में दिखाई देता था।इस निहित अधिकार को प्रतिवादियों की मनमानी से नहीं खोया जा सकता है।प्रतिवादी बाहरी विचारों पर वादी के निहित अधिकार का अतिक्रमण करने पर आमादा हैं।

(3) प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने के मुकदमे का विरोध करते हुए आग्रह किया कि वास्तव में, आवास बोर्ड नियम और विनियम अधिनियम, 1971 के अनुसार, लॉट के ड्रॉ के बाद, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित घर अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए जाएंगे।इस बात से इनकार किया गया कि बाकी सात घरों को सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया था।यह प्रस्तुत किया गया था कि अनुसूचित जातियों/पिछड़ों का आरक्षित कोटा
आवास बोर्ड, हरियाणा नियम और विनियम अधिनियम, 1971 के अनुसार वर्गों का उपयोग केवल अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्गों के लिए किया जाएगा और सामान्य श्रेणी के लिए नहीं।इस बात से इनकार किया गया कि वादी लॉट के ड्रॉ में सफल उम्मीदवारों में से एक था या आवास बोर्ड, हरियाणा द्वारा उसके पक्ष में आवंटन का औपचारिक पत्र जारी किया जाना था।वास्तव में, वादी लॉट के ड्रॉ में सफल नहीं हुआ।उनका नाम प्रतीक्षा सूची में क्रम संख्या 35 पर था।सफल आबंटियों को औपचारिक आबंटन पत्र जारी किए गए और ड्रॉ के अनुसार, सफल शर्तों को रुपये जमा करने के लिए कहा गया। 15, 000 आवंटन की शर्तों के अनुसार।जब वादी लॉट के ड्रॉ में सफल नहीं हुआ तो उसे कोई आवंटन पत्र जारी नहीं किया गया।इस प्रकार, वादी को रुपये जमा करने के लिए नहीं बुलाया जा सका। 15, 000। 28 घर सामान्य श्रेणी के लिए और 10 घर अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लिए थे।आवंटन के लिए सामान्य श्रेणी का दावा केवल 28 घरों पर ही काम कर सकता था।

(4) वादी के अनुसार अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग की आरक्षित श्रेणी से केवल तीन आवेदन प्राप्त हुए थे।इस प्रकार शेष सात सदनों को अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों की आरक्षित श्रेणियों से सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया।35 घर प्रकार सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को आवंटन के लिए उपलब्ध थे।लॉट के ड्रॉ के बाद तैयार की गई सूची के क्रम संख्या 35 में वादी का नाम था।इस प्रकार वह एक घर के आवंटन का हकदार था।

(5) डॉ. श्रीमती विनीता भटनागर द्वारा आदेश 1, नियम 10, उप नियम 2 सी. पी. सी. के तहत किए गए आवेदन पर, जिन्हें एच. आई. जी. सदनों में से एक आवंटित किया गया था, उन्हें पक्षकार (प्रतिवादी संख्या 3) के रूप में शामिल किया गया था।श्रीमती. विनीता भटनागर प्रतिवादी संख्या 3 ने वादी के मुकदमे का विरोध किया।यह आग्रह किया गया कि 28 अप्रैल, 1987 को द ट्रिब्यून में आवास बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन के जवाब में, उन्होंने 1 जून, 1987 को आवास बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर 1, रोहतक में एच. आई. जी. घर के आवंटन के लिए निर्धारित प्रपत्र संख्या 563471 पर आवेदन किया।उन्होंने आय विवरण और 7500 रुपये हाऊसिंग बोर्ड, हरियाणा के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक,रोहतक से चंडीग्ड में डिमांड ड्राफ्ट के माधयम से राशि सहित सभी आवश्यक कागजात जमा किए। ।उनके नाम उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया गया था, जिन्हें ड्रॉ में शामिल किया जाना था।आवास बोर्ड के साथ अनुबंध की शर्तों के अनुसार, लॉट का ड्रॉ 29 जनवरी, 1988 को आयोजित किया गया था।वह उन सफल उम्मीदवारों में से थीं जिनके पक्ष में लॉट खोले गए और 29 जनवरी, 1988 को आवंटन किया गया।इसके बाद, आवास बोर्ड हरियाणा,-संचार सं। एचबीएच/सीआरओ-I/आरए-II/88/2024,

दिनांक 3 मार्च, 1988 को 7 मार्च, 1988 को भेजे गए उसके अंतिम पंजीकरण संख्या 28/एच. आई. जी./आर. टी. के./87 जारी करने के लिए रोहतक में एच. आई. जी. घर के आवंटन की पुष्टि की और मांग पर उसने15000 रु. घर आवंटित करने के लिए दिए।विज्ञापन में बताया गया है कि सेवा कर्मियों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 1987 है, अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के लिए आवंटन के दिन तक या कोटा समाप्त होने की तारीख तक, जो भी पहले हो और सामान्य श्रेणी के लिए 1 जून, 1987 है।एच. आई. जी. योजना में 54 घर थे, 44 पूर्व सैनिकों के लिए और सामान्य श्रेणी के लिए, 10 अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित थे।29 जनवरी, 1988 तक पूर्व सैनिक और सामान्य श्रेणी के लिए कोटा पूरी तरह से समाप्त हो गया था, जबकि अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के आरक्षित कोटे के खिलाफ केवल तीन आवेदन प्राप्त हुए थे।चूंकि अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग का कोटा समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए लॉट का ड्रॉ आयोजित किया गया और अन्य सभी उम्मीदवारों के साथ सामान्य श्रेणी में आवेदन करने वाले वादी सहित अन्य सभी आवेदकों को लॉट के ड्रॉ में शामिल किया गया, जो 44 घरों के लिए आयोजित किया गया था और सामान्य श्रेणी के लिए घर 28 थे और सामान्य श्रेणी के लिए लॉट निकालते समय, विनीता भटनागर का नाम 28 वें लॉट में दिखाई दिया और इसलिए वह सामान्य श्रेणी के लिए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर 1, रोहतक में एक एच. आई. जी. घर प्राप्त करने में सफल रही।अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के कर्मियों को आवंटन के उद्देश्य से अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के लिए कोटा अभी भी खाली है।पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति के शेष कोटे को कभी भी सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित नहीं किया गया था।सामान्य श्रेणी के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार की गई थी, जिसमें वादी क्र. सं. 7 पर था।यह आग्रह किया गया कि इस तरह से वादी का सामान्य श्रेणी के लिए पहले 28 एच. आई. जी. घरों में से किसी के खिलाफ कोई दावा नहीं था क्योंकि उसका नाम पहले 28 लॉट में नहीं आया था।अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के आरक्षण का अधूरा कोटा कभी भी सामान्य श्रेणी को हस्तांतरित नहीं किया गया।10 अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित एच. आई. जी. घर अभी भी आवंटित नहीं किए गए हैं।न तो वादी को कोई पंजीकरण संख्या

दी गई और न ही उसे घर के आवंटन के लिए कोई पैसा जमा करने के लिए कहा गया क्योंकि पहले 28 लॉट में उसके नाम पर कोई ड्रॉ नहीं खोला गया था।

(6) 2 दलों की इन दलीलों पर, अन्य निम्नलिखित तैयार किए गए थेः—

1. क्या वादी 29 जनवरी, 1988 को आयोजित लॉट के ड्रॉ के आधार पर घर के आवंटन का हकदार है, जैसा कि आरोप लगाया गया है?ओपीपी।
2. क्या वादी आरक्षित श्रेणी के लिए कोटे से आवंटित घर प्राप्त करने का हकदार है।यदि हाँ, तो इसका क्या प्रभाव होगा?ओपीडी
3. क्या वर्तमान रूप में मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं है?ओपीडी
4. क्या वादी के पास वर्तमान मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है?ओपीडी
5. क्या दीवानी अदालत को मुकदमे की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है? ओपीडी
6. क्या नोटिस के अभाव में मुकदमा खराब है?ओपीडी
7. क्या मुक़दमा समय की पाबंदी है?ओपीडी
8. राहत मिलती है।

(7) *16* मई, 1992 के आदेश के माध्यम से, रोहतक के उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी ने वादी के मुकदमे को खारिज कर दिया, उसके निष्कर्ष को देखते हुए, कि वादी 29 जनवरी, 1988 को आयोजित लॉट के ड्रॉ के आधार पर किसी भी एच. आई. जी. घर के आवंटन का हकदार नहीं था, क्योंकि उसका नाम सामान्य श्रेणी में क्रम संख्या 35 में था, जबकि 28 एच. आई. जी. घर सामान्य श्रेणी को आवंटित किए जाने थे और वह अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग की आरक्षित श्रेणी के लिए किसी भी घर के आवंटन का हकदार नहीं था।यह पाया गया कि एच. आई. जी. घरों के अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के अप्रचलित कोटे को सामान्य श्रेणी को आवंटित करने के लिए स्थानांतरित नहीं किया गया था।यह पाया गया कि यह निर्धारित करने वाला कोई नियम नहीं था कि आरक्षित श्रेणी के लिए खाली पड़े घरों का कोटा स्वचालित रूप से सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित हो गया था।दीवानी अदालत के पास मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं पाया गया।हरियाणा आवास बोर्ड अधिनियम, 1971 की धारा 67 में परिकल्पित आवास बोर्ड, हरियाणा को पूर्व सूचना दिए बिना मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं पाया गया।वादी का मुकदमा समय से परे पाया गया।

(8) वादी ने अपील की, जिसे रोहतक के विद्वान जिला न्यायाधीश ने 8 फरवरी, 1993 के आदेश के माध्यम से स्वीकार कर लिया और आवास बोर्ड हरियाणा को निर्देश दिया गया कि वह याचिकाकर्ता को उसी लागत और विज्ञापन की प्रति में निर्धारित नियमों और शर्तों पर आवास बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर 1, रोहतक में उसके द्वारा बनाया गया पहला एच. आई. जी. घर आवंटित करे। पी 1, उनके निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, कि वह 29 जनवरी, 1988 को आयोजित लॉट के ड्रॉ के बाद एक एच. आई. जी. हाउस के आवंटन के हकदार थे।29 जनवरी, 1988 के बाद, एच. आई. जी. घरों के आवंटन के लिए अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्गों के सदस्यों से कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सका और एच. आई. जी. घरों का उनका कोटा उन व्यक्तियों को आवंटित किया जाना चाहिए था जिनके नाम सामान्य श्रेणी से संबंधित आवेदकों की प्रतीक्षा सूची में दिखाई दिए थे।

(9) मैंने दोनों पक्षों को सुना है और रिकॉर्ड देखा है।

(10) *28* अप्रैल, 1987 को द ट्रिब्यून में प्रकाशित विज्ञापन अनुलग्नक पी. 1 के माध्यम से आवास बोर्ड, हरियाणा ने आवास बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर 1, रोहतक में निर्मित विभिन्न श्रेणियों के घरों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए।इस विज्ञापन के जवाब में, रामनाथ ने 29 मई, 1987 को निर्धारित प्रपत्र संख्या 041821 पर 7, 500,-ड्राफ्ट नं. टी. टी. ए./11/561793, दिनांक 19 मई, 1987 पर आवेदन किया।इस विज्ञापन (उपर्युक्त) का खंड 4 (i) और 6 प्रासंगिक है।अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के सदस्य आवंटन की तारीख या जिस तारीख तक कोटा पूरी तरह से अभिदान किया जाता है, जो भी पहले हो, उस तारीख तक भूखंड के आवंटन के लिए आवेदन कर सकते हैं।लॉट का ड्रॉ 29 जनवरी, 1988 को आयोजित किया गया था।29 जनवरी, 1988 तक एच. आई. जी. आवासों के आवंटन के लिए अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के सदस्यों द्वारा केवल तीन आवेदन थे। अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के सदस्यों को ड्रॉ द्वारा आवंटित किए जाने के लिए 10 एच. आई. जी. घर उपलब्ध थे।अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए, 29 जनवरी, 1988 को केवल 3 एच. आई. जी. घरों के लिए ड्रॉ का आयोजन किया जा सका।29 जनवरी, 1988 को शेष 7 एच. आई. जी. घरों के आवंटन के लिए कोई ड्रॉ नहीं निकाला जा सका, जो अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्गों को आवंटन के लिए थे।सामान्य श्रेणी के लोगों को आवंटन के लिए 28 एच. आई. जी. घर उपलब्ध थे। रामनाथ प्रतिवादी-वादी का कहीं पता नहीं चला।28 वा घर श्रीमति विनीता भटनागर को आबंटन से एच. आई. जी. का घर समाप्त हो गया। जहाँ तक राम नाथ का संबंध है, सामान्य श्रेणी के लिए 28 एच. आई. जी. घरों के आवंटन के लिए आयोजित लॉट के ड्रॉ में उनका कहीं भी नाम नहीं था।एच. आई. जी. घरों के आवंटन के लिए लॉट के ड्रॉ के बाद सूची तैयार करते समय, उन्हें सीरियल नं.35. श्रीमती. विनीता भटनागर को धारावाहिक संख्या 28 में दिखाया गया था।राम नाथ को सीरियल नंबर 35 में प्रतीक्षा सूची में दिखाया गया था।राम नाथ प्रत्यर्थी का मामला यह है कि 29 जनवरी, 1988 को ड्रॉ का आयोजन किया गया था।अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के सदस्य 29 जनवरी, 1988 तक एच. आई. जी. घरों के आवंटन के लिए आवेदन कर सकते थे।यदि 29 जनवरी, 1988 तक अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्ग को आबंटन के लिए एच. आई. जी. घरों का कोटा सदस्यता रहित रहा, तो अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के लिए एच. आई. जी. घरों का सदस्यता रहित कोटा सामान्य श्रेणी को दिया जा सकता है।उनका मामला यह था कि इस मामले में भी शेष 7 एच. आई. जी. सदनों का कोटा, जो अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के सदस्यों द्वारा सदस्यता रद्द कर दिया गया था, 29 जनवरी, 1988 को सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया था और इसलिए वे इसके आवंटन के हकदार बन गए।

उन 7 एच. आई. जी. घरों में से एक एच. आई. जी. घर, जिसकी 29 जनवरी, 1988 तक सदस्यता नहीं ली गई थी, अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के सदस्यों द्वारा बनाया गया था।उनका मामला था कि 29 जनवरी, 1988 के बाद, अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के सदस्य उन्हें अपने कोटे से संबंधित एच. आई. जी. घर के आवंटन के लिए आवेदन नहीं कर सकते थे।उनके मामले में, अंतिम तिथि 29 जनवरी, 1988 थी, यानी जब लॉट का ड्रॉ आयोजित किया गया था।जबकि सेवारत सैन्य कर्मियों और उनकी पत्नियों/पूर्व सैनिकों/युद्ध विधवाओं/स्वतंत्रता सेनानियों के मामले में आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 1987 थी।अन्य सभी आवेदकों के मामले में आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जून, 1987 थी।उनका मामला यह था कि अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्गों की खराब वित्तीय स्थिति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वे दलित हैं, उन्हें एच. एल. जी. घरों के आवंटन के लिए ड्रॉ की तारीख तक या उस तारीख तक आवेदन करने की अनुमति दी गई थी जब तक कि कोटा पूरी तरह से अभिदान किया गया था, जो भी पहले हो।उनका मामला यह था कि इस मामले में भी आवास बोर्ड ने कोई विशेष तिथि यानी 31 अगस्त, 1987 या 31 अक्टूबर, 1987 या 30 नवंबर, 1987 आदि निर्धारित नहीं की थी, जब तक कि अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के सदस्य उन्हें एच. आई. जी. मकानों के आवंटन के लिए आवेदन कर सकते हैं।आवास बोर्ड ने ऐसा नहीं किया, आवास बोर्ड इस तथ्य से अवगत था कि उनकी वित्तीय स्थिति खराब है और वे इतने कम समय में पैसे की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।आवास बोर्ड ने उन्हें एच. आई. जी. घरों के आवंटन के लिए आवेदन करने की तारीख के मामले में अन्य श्रेणियों के आवेदकों पर बढ़त दी।आवास बोर्ड हरियाणा, रोहतक के संपदा प्रबंधक, नरेश कुमार ने कहा कि आवास बोर्ड की ऐसी कोई नीति नहीं है जिसके तहत, अलग-अलग श्रेणियों के लोगों को आवंटित किए गए गैर-आवंटित घरों को सामान्य श्रेणी के लोगों द्वारा संचालित किए जाने वाले कोटे में स्थानांतरित किया जा सकता है।उन्होंने कहा कि आवंटन की तारीख तक, वे आरक्षित श्रेणी के लोगों के उनके लिए मकानों के आवंटन के लिए आवेदन करने का इंतजार करते हैं।उन्होंने कहा कि यदि आवंटन की तारीख तक, अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के सदस्य आगे नहीं आते हैं और अपने कोटे के लिए शेष घरों के लिए आवेदन नहीं करते हैं, तो आवास बोर्ड उन घरों को सामान्य श्रेणी के लोगों को आवंटित करता है।नरेश कुमार ने यह भी कहा कि रामनाथ ने केवल सामान्य श्रेणी में एच. आई. जी. आवास के आवंटन के लिए आवेदन किया था।29 जनवरी, 1988 को आयोजित लॉट के ड्रॉ में रामनाथ का नाम प्रतीक्षा सूची के क्रम संख्या 7 में था।सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए 28 एच. आई. जी. घरों का आवंटन किया गया। सामान्य श्रेणी के आवेदकों में क्रम संख्या 28 पर, श्रीमती. विनीता भटनागर ने सोचा।28 एच. आई. जी. का घर उन्हें आवंटित किया गया था।सामान्य श्रेणी द्वारा संचालित किए जाने वाले एच. आई. जी. घरों का कोटा विनीता भटनागर को एच. आई. जी. घर के आवंटन के साथ समाप्त हो गया, जो सामान्य श्रेणी में अंतिम आबंटित थी।

रामनाथ के अनुसार, 29 जनवरी, 1988 के बाद, जब लॉट का ड्रॉ आयोजित किया गया था, आवास बोर्ड को अपने कोटे के 7 एच. आई. जी. घरों के आवंटन के लिए अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्गों के आवेदनों पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं था।विज्ञापन की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, 29 जनवरी, 1988 तक अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्गों के सदस्यों द्वारा सदस्यता रद्द किए गए 7 एच. आई. जी. घर स्वचालित रूप से सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित हो गए।इस अपील में, निर्धारण के लिए जो सवाल उठता है, वह यह है कि क्या अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्ग के सदस्य अपने द्वारा संचालित किए जाने वाले एच. आई. जी. घरों के आवंटन के लिए 29 जनवरी, 1988 तक आवेदन कर सकते हैं, यानी जब लॉट का ड्रॉ आयोजित किया गया था या जिस तारीख तक उनका कोटा पूरी तरह से अभिदान किया गया था, जो भी पहले हो या उनके लिए मकानों का आवंटन होने तक की तारीख।इस अपील में एक और सवाल उठता है कि क्या अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्गों को आवंटित किए जाने वाले एच. आई. जी. घरों को सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित किया जा सकता है, यदि अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्गों से संबंधित पर्याप्त आवेदक उनके लिए निर्धारित कोटा को पूरी तरह से संचालित करने के लिए नहीं थे।आवास बोर्ड हरियाणा के अनुसार, अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग श्रेणी के लिए मकान केवल उसी श्रेणी के सदस्यों को आवंटित किए जाने थे और उन्हें सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था।आवास बोर्ड के अनुसार, रामनाथ केवल सामान्य श्रेणी को आवंटित किए जाने वाले एच. आई. जी. घरों में से ही एच. आई. जी. घर के आवंटन का दावा कर सकते हैं।28 सामान्य श्रेणी में आवंटन के लिए घर उपलब्ध थे।वह लॉट के ड्रॉ में सफल नहीं रहे।सीरियल नंबर 35 में उनका नाम प्रतीक्षा सूची में रखा गया था।यदि 28 सफल उम्मीदवारों में से 7 ने नाम वापस ले लिया हो तो एच. आई. जी. हाउस के आवंटन के लिए उन पर विचार किया जा सकता था।उनका नाम केवल प्रतीक्षा सूची में था और मूल सूची में नहीं था।वह उन 7 घरों में से किसी को भी नहीं देख सके, जो अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के लिए आवंटित किए गए थे।राम नाथ के अनुसार, उन्होंने शिकायत के पैरा 3 में आरोप लगाया था कि "अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए अंतिम तिथि आवंटन की तारीख थी यानी वह तारीख जिस पर लॉट का ड्रॉ आयोजित किया जाना था और इसलिए, लॉट या आवंटन के ड्रॉ के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जा सका", आवास बोर्ड हरियाणा द्वारा अपने लिखित बयान में स्वीकार किया गया था जिसमें कहा गया था कि शिकायत के पैरा 3 को भी सही माना गया है।राम नाथ के अनुसार, इस प्रकार अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के सदस्यों के मामले में एच. आई. जी. घरों के आवंटन के लिए आवेदन करने की तारीख 29 जनवरी, 1988 थी और 29 जनवरी, 1988 के बाद, अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के सदस्यों को एच. आई. जी. घरों के आवंटन के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सका।उनके अनुसार, आवास बोर्ड को ड्रॉ की तारीख का आग्रह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी

लॉट के आवंटन की तारीख नहीं थी।आवास बोर्ड हरियाणा द्वारा जारी विज्ञापन अनुलग्नक पी. आई. के अनुसार एक मंजिला घर की पेशकश की गई है।रु. एच. आई. जी. हाउस के संबंध में आवेदन के साथ 7,500 का भुगतान किया जाना था।रु. लॉट के पंजीकरण/ड्रॉ के छह महीने बाद 15000 का भुगतान किया जाना था।रु. 15, 000 का भुगतान आवंटन/कब्जे के समय किया जाना था और उसके बाद 13 साल की अवधि के लिए मासिक किश्तों का भुगतान किया जाना था।विज्ञापन में, ईएक्स. पी1, यह प्रावधान किया गया है कि घरों का आवंटन लॉट के ड्रॉ द्वारा किया जाएगा।

{11} विज्ञापन, एक्स पी1 के खंड 6 से यह स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के सदस्यों को सेवारत सैन्य कर्मियों और उनकी पत्नियों/पूर्व सैनिकों/युद्ध विधवाओं/स्वतंत्रता सेनानियों की तुलना में एक विशेष श्रेणी के रूप में माना जाता था, जबकि सेवारत सैन्य कर्मियों और उनकी पत्नियों/पूर्व सैनिकों/स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, घरों के आवंटन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31-8-87 थी, एससी/बीसी के सदस्यों के लिए आवंटन की अंतिम तिथि थी, जिस तारीख तक उनका कोटा पूरी तरह से सदस्यता ली गई थी, जो भी पहले था और अन्य सभी आवेदकों के लिए, अंतिम तिथि 1 जून, 1987 थी।यदि अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के सदस्यों को इस बात को ध्यान में रखते हुए विशेष श्रेणी के रूप में माना जाता है कि वे अन्य श्रेणियों की तुलना में दलित और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उनके मामले में आवेदन करने की तारीख 29 जनवरी, 1988 या उस तारीख को ली जानी चाहिए जब तक कि कोटा पूरी तरह से सदस्यता ली गई थी, जो भी पहले हो।आवास बोर्ड हरियाणा ने उनके साथ इस बात को ध्यान में रखते हुए उदारता से व्यवहार किया कि वे दलित और अत्यधिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और इसलिए, यह प्रावधान किया गया था कि वे आवंटन की तारीख तक या उस तारीख तक आवेदन कर सकते हैं जब तक कि उनका कोटा पूरी तरह से अभिदान नहीं किया गया था, जो भी पहले हो।खंड 6-बी का उद्देश्य यह था कि हरियाणा आवास बोर्ड द्वारा अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के लिए बनाए गए एच. आई. जी. घरों का उपयोग उनके द्वारा किया जाना चाहिए और अन्य श्रेणियों द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। एससी/बी. सी. के सदस्य इस प्रकार आवंटन की तारीख या उस तारीख तक आवेदन कर सकते हैं जिस तारीख तक कोटा पूरी तरह से सदस्यता ली गई थी, जो भी पहले हो?इस मामले में, आरक्षित श्रेणियों में शेष सात सदन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को 29 जनवरी, 1988 के बाद उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के आधार पर आवंटित किए गए थे, यानी जिस पर लॉट का ड्रॉ हुआ था।रामनाथ के अनुसार, ड्रॉ के अलावा उनके पक्ष में कोई आवंटन नहीं हो सकता था।लॉट के ड्रॉ के बिना उन्हें एच. आई. जी. घरों का आवंटन करना कानून की दृष्टि से बुरा था।यह सच है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन सदस्यों को मकानों का आवंटन, जिन्होंने *29* जनवरी, *1988* के बाद ड्रॉ कराए बिना आवेदन किया था, खराब था क्योंकि यह हरियाणा आवास बोर्ड अधिनियम, *1971* के विनियमन *24* के प्रावधानों पर अतिक्रमण करता है।यह दलजीत सिंह में आयोजित किया गया था।

.ह्लूवालिया बनाम चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (1) कि "लेगन की भाषा"।24 यह कहना कि आबंटन, जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है, इस तरह से अन्य तरीके से हो सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह किसी अन्य तरीके से हो सकता है।इस तरह के शब्द की जड़ें विनियमन के मुख्य आदेश में हैं और वह लॉट के ड्रॉ द्वारा है, जिसका अर्थ है कि संपत्ति के आवंटन के मामले में किसी को भी किसी भी माध्यम, तर्क या कारण से पसंद या पसंद नहीं किया जाना चाहिए और समझ में आता है कि इस मामले में किसी के साथ कोई भेदभाव या विकल्प नहीं होना चाहिए।रेगन।24 इसे इस अर्थ में नहीं पढ़ा जा सकता है कि बोर्ड ऐसी कोई विधि तैयार कर सकता है ताकि समान अवसर को नष्ट किया जा सके और सभी संबंधितों को आवंटन के समान अवसर की संभावना से वंचित किया जा सके।" हालाँकि, राम नाथ को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को 7 सदनों के आवंटन पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है, जिन्होंने 29 जनवरी, 1988 तक आवेदन नहीं किया था, लेकिन जिन्होंने 29 जनवरी, 1988 के बाद आवेदन किया था, क्योंकि उनके पक्ष में आवंटन की वैधता, यदि कोई हो, को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अन्य सदस्यों द्वारा केवल तभी चुनौती दी जा सकती है जब भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के उनके अधिकार का उल्लंघन किया गया हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य 29 जनवरी, 1988 के बाद भी आवंटन की तारीख तक उन 7 घरों के आवंटन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(12) रामनाथ आवास बोर्ड से एससी/बी. सी. के लिए बने उन 7 घरों को आवंटित करने के लिए ड्रॉ पर रखने का आह्वान नहीं कर सके, क्योंकि वे सामान्य श्रेणी के हैं।वह केवल 28 एच. आई. जी. घरों के आवंटन पर ध्यान दे सके।हरियाणा आवास बोर्ड अधिनियम, 1971 का विनियम 7 (i), जिस पर राम नाथ ने भरोसा किया था, निम्नानुसार हैः—

> "सदनों का आबंटन लॉट निकालकर या ऐसी अन्य विधि से किया जाएगा जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाए।जब तक बोर्ड द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है या निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, तब तक कुल घरों की संख्या में से आवेदकों के पक्ष में आरक्षण कुल लागत का 25 प्रतिशत या पंजीकरण के समय पूरी लागत सहित 25 प्रतिशत से अधिक और अतिरिक्त राशि होगी।पंजीकरण के समय पूरी लागत का भुगतान करने वाले आवेदकों को घर चुनने का विकल्प दिया जाएगा।स्पिलओवर (आवेदक/आवास, जैसा भी मामला हो) सामान्य पूल में जाएगा।"

(13) राम नाथ द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि उक्त प्रावधान को देखते हुए स्पिलओवर घरों को सामान्य पूल में जाने की आवश्यकता थी और इसलिए, वह आवास में एच. आई. जी. घर के आवंटन के हकदार थे।

(1) 1990(1) पीएलआर 78

बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर 1, रोहतक।यह कहने के लिए पर्याप्त है कि उन 7 एच. आई. जी. घरों को "स्पिलओवर" के रूप में कैसे माना जा सकता है, जब एससी/बी. सी. के सदस्य आवंटन की तारीख तक या एससी/बी. सी. के लिए घरों का कोटा पूरी तरह से सदस्यता प्राप्त होने तक उन घरों के आवंटन के लिए आवेदन कर सकते हैं।आवास बोर्ड को एससी/बी. सी. के सदस्यों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी ताकि उनके लिए एच. आई. जी. घरों के आवंटन का कोटा उनके द्वारा उपयोग किया जा सके।यह दोहराया जाएगा कि 28 घर सामान्य श्रेणी को आवंटित किए जाने थे।10 एच. आई. जी. घर एससी/बी. सी. के सदस्यों को आवंटित किए जाने थे। एससी/बी. सी. के सदस्यों को अन्य श्रेणियों की तुलना में विशेष श्रेणी के रूप में माना जाता था।एससी/बीसी श्रेणी के लिए दिए गए कोटा का

उपयोग केवल उनके द्वारा किया जाना था।यह हरियाणा आवास बोर्ड अधिनियम, 1971 के अनुसार सामान्य श्रेणी के लिए नहीं था।

(14) ड्रॉ की तिथि आबंटन की तिथी को एक नहीं कहा जा सकतासका।ड्रॉ के बाद कई औपचारिकताएं होती हैं, जिनका पालन करना आवश्यक होता है।उन औपचारिकताओं का पालन करने के बाद आवंटन पत्र जारी किया जाता है।आवास बोर्ड, हरियाणा (लेनमेंट्स का आवंटन, प्रबंधन और बिक्री) विनियम, 1972 के नियम 10 में कहा गया है कि "आवंटन पत्र एस्टेट मैनेजर द्वारा जारी किया जाएगा जो आवंटनकर्ता को सूचित करेगा कि उसे पत्र में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर किरायेदारी आवंटित करने का प्रस्ताव है, किरायेदारी के आवंटन को स्वीकार करें।इस प्रकार आवंटन एक ऐसी प्रक्रिया है जो लॉट के आयोजन के साथ शुरू होती है और आवास बोर्ड, हरियाणा (आवंटन, प्रबंधन और मकानों की बिक्री) विनियम 1972 के नियम 10 में उल्लिखित सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद समाप्त होती है।इस मामले में, इस प्रकार 29 जनवरी, 1988 को आवंटन की तारीख के रूप में नहीं माना जा सकता है।अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के मामले में, एच. आई. जी. घरों के आवंटन के लिए आवेदन करने की तारीख उस तारीख तक बढ़ा दी जाती है जब आवास बोर्ड द्वारा सफल उम्मीदवारों के पक्ष में वास्तविक आवंटन किया गया था।7 इस प्रकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कोटे के घर 29 जनवरी, 1988 को सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित करने के लिए उपलब्ध नहीं हुए।एससी/बीसी के सदस्य सामान्य श्रेणी के सदस्यों के पक्ष में इन घरों के वास्तविक आवंटन से पहले किसी भी समय इन घरों के आवंटन के लिए आवेदन कर सकते हैं।उन 7 घरों को 30 जनवरी, 1988 या उसके बाद स्पिलओवर के रूप में नहीं माना जा सका। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य 29 जनवरी, 1988 के बाद सामान्य श्रेणियों से संबंधित सफल व्यक्तियों के पक्ष में आवंटन की तारीख तक उन घरों के आवंटन के लिए आवेदन कर सकते थे।

(15) मेरी राय के अनुसार 29 जनवरी, 1988 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आवंटित किए जाने वाले सदनों में से जब उन्होंने राम नाथ को सदन के आवंटन का हकदार पाया, तो उन्हें केवल सामान्य श्रेणी के कोटे पर काम करना था और वे आवंटन की तारीख तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कोटे पर काम करने की उम्मीद नहीं कर सकते थे।विज्ञापन के खंड 6 में आवंटन की तारीख ई एक्स पी1 शब्दों के उपयोग की व्याख्या आवंटन की तारीख के रूप में की जानी चाहिए न कि ड्रॉ की तारीख के रूप में, क्योंकि ड्रॉ की तारीख पर आवंटन नहीं होता है। आबंटन बाद में होता है जब तथाकथित आबंटित व्यक्ति आबंटन की शर्तों को पूरा करने के लिए सहमत होता है।आवास बोर्ड (आवंटन, प्रबंधन और मकानों की बिक्री) विनियम, 1972 में आवंटी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे विनियम 1 (2) में निर्दिष्ट किसी भी योजना के तहत निर्मित भवन में बिक्री या किराया-खरीद के माध्यम से मकान आवंटित किया जाता है।आवेदक को इन नियमों के तहत आवंटन के लिए बोर्ड को आवेदन करने वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।व्याख्या, जो इस अदालत द्वारा विज्ञापन एक्स-पाई के खंड 6 बी पर रखी गई है, एकमात्र व्याख्या है जिसे रखा जाना चाहिए था क्योंकि यह व्याख्या भारत के संविधान निर्माताओं के इरादे को आगे बढ़ाती है।भारत के संविधान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पक्ष में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, यह ध्यान में रखते हुए कि उन्हें सदियों से सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़ेपन से ऊपर उठाने की आवश्यकता है।राज्य किसी भी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।इस प्रकार रामनाथ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर 1, रोहतक में एच. आई. जी. आवास के आवंटन के लिए नहीं कह सके, जिसका उपयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा किया जा रहा था। दीवानी

अदालत के पास मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था क्योंकि यह रामनाथ का दीवानी अधिकार था, जो इसमें शामिल था।उनका मामला था कि आवास बोर्ड द्वारा उन्हें आवास बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 1, रोहतक में एच. आई. जी. घर आवंटित करने से इनकार करना आवास बोर्ड हैयाना (प्रबंधन, आवंटन और मकानों की बिक्री) विनियम, 1972 के प्रावधानों का उल्लंघन था।चूंकि 7 घरों का रिसाव सामान्य श्रेणी में आता है और वह प्रतीक्षा सूची के क्रम संख्या 7 में आता है और उसे एक घर आवंटित किया जाना चाहिए था।इस तरह का प्रश्न हरियाणा आवास बोर्ड के अध्यक्ष के निर्णय के दायरे में नहीं आता था।अन्यथा भी, सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के निष्कासन का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए।सिविल न्यायालय के पास आई. ई. जी. डब्ल्यू. के प्रश्न पर जाने का अधिकार क्षेत्र होगा।v अन्यथा एक विशेष न्यायाधिकरण के आदेश का गठन किया जाता है और यह निर्धारित दलकरता है कि क्या

न्यायाधिकरण ने उस क़ानून के ढांचे के भीतर काम किया है जिसने इसे बनाया है।इस प्रकार यह निर्धारित करना सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र था कि क्या आवास बोर्ड, हरियाणा ने आवास बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर 1, रोहतक में एच. आई. जी. घरों के आवंटन को प्रभावित करते हुए आवास बोर्ड, हरियाणा अधिनियम, 1971 और आवास बोर्ड, हरियाणा (प्रबंधन, आवंटन और मकानों की बिक्री) विनियम, 1972 का पालन किया है।वादी को मुकदमा दायर करने से पहले आवास बोर्ड, हरियाणा अधिनियम, 1971 की धारा 67 के तहत आवास बोर्ड, हरियाणा को नोटिस देना चाहिए था।वादी ने केवल सी. पी. सी. की धारा 80 के तहत नोटिस देने से छूट मांगी, जो उसे दी गई थी।सी. पी. सी. की धारा 80 के तहत सूचना केवल तभी तामील की जानी चाहिए जब सरकार या उसके किसी पदाधिकारी के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाना हो।आवास बोर्ड, हैयाना अधिनियम, 1971 की धारा 67 में कहा गया है कि "कोई भी व्यक्ति बोर्ड के खिलाफ या बोर्ड के किसी अधिकारी या कर्मचारी या बोर्ड के आदेशों के तहत काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इस अधिनियम के अनुसरण में किए गए या किए जाने का तात्पर्य रखने वाले किसी भी कार्य के लिए, बोर्ड, अधिकारी या कर्मचारी या संबंधित व्यक्ति को इच्छित मुकदमे और उसके कारण के बारे में लिखित में दो महीने की पूर्व सूचना दिए बिना, या अधिनियम की शिकायत की तारीख से छह महीने के बाद मुकदमा नहीं दायर करेगा।इस प्रकार वादी का मुकदमा आवास बोर्ड, हरियाणा अधिनियम, 1971 की धारा 67 के तहत बिना पूर्व सूचना के खराब था।वादी ने 19 दिसंबर, 1988 को यह मुकदमा दायर किया।उन्हें आवंटन के बारे में 3 मार्च, 1988 को पता चला।अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिवादी-वादी को शिकायत किए गए अधिनियम की तारीख से छह महीने के भीतर मुकदमा लाना चाहिए था।इस मामले में 29 जनवरी, 1988 को ड्रॉ का आयोजन किया गया था और वादी को 3 मार्च को पता चला था कि हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा ने आवंटन पत्र जारी कर सफल लोगों से रुपये की पहली किस्त जमा करने के लिए कहा था। 15, 000।मेरी राय में, वादी का मुकदमा समय के भीतर था क्योंकि 3 मार्च, 1988 से हर दिन उसके पक्ष में कार्रवाई का कारण बना रहा।वादी को किसी ऐसे व्यक्ति को जारी किए गए आवंटन पत्र के तीन साल के भीतर यह मुकदमा दायर करना आवश्यक था, जो लॉट के ड्रॉ में सफल हो गया था।

ऊपर दिए गए कारणों से, यह अपील सफल होती है और स्वीकार की जाती है और विद्वान जिला न्यायाधीश,रोहतक द्वारा परित निर्णय और डिक्री पारित रद्द की जाती है और निचली अदालत द्वारा पारित किए गए को बहाल कर दिया जाता ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जसप्रीत कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हिसार, हरियाणा